न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 74/2018 दायर तारीख :– 18-10-2018

1. बीरबल पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

—— वादी

बनाम

1. हजारी पुत्र मांगू
2. शैतान पुत्र रामकंवार
3. जगमाल पुत्र गिरधारी
4. प्रहलाद पुत्र गिरधारी

समस्त जाति गुर्जर निवासी बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत पत्थरगढी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 23.10.2019

1. वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बजरंगपुरा के आराजी खसरा नम्बर 712/1.35, 1550/710/0.0335, 1551/711/0.0265, 1552/713/0.19 कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने कुछ लोगो के साथ वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह का गठन कर रखा है। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर लाठी के बल पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। वादी ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के की दिनांक 04.06.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया था। वादी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बजरंगपुरा आराजी खसरा नम्बर 712/1.35, 1550/710/0.0335, 1551/711/0.0265, 1552/713/0.19 कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश फरमावें एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उक्त आराजी के उपयोग/उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 95 संवत् 2072–2075, नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 04.06.2018 आदि पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम बजरंगपुरा के आराजी खसरा नम्बर 712/1.35, 1550/710/0.0335, 1551/711/0.0265, 1552/713/0.19 कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने कुछ लोगो के साथ वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह का गठन कर रखा है। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर लाठी के बल पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। वादी ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के की दिनांक 04.06.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया था। वादी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। वादी के वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी के रूप में पी.डब्लू 1 दाताराम गुर्जर एवं पी.डब्लू 2 बीरबल पेश हुए। उपस्थित साक्ष्यवादी के शपथ पत्र में कथन रहे कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी की उक्त भूमि के उपयोग/उपभोग में किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः वादी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि वादी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें एवं प्रतिवादीगण को वादी की आराजी में वादी द्वारा उपभोग/उपयोग करने में किसी प्रकार की दखल नहीं करे इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावाया जावें।

6. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को वादी की भूमि वाके ग्राम बजरंगपुरा के आराजी खसरा नम्बर 712/1.35, 1550/710/0.0335, 1551/711/0.0265, 1552/713/0.19 कुल किता 4 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को उसके खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner